संख्या 1/22/2012–पी.एंड पी.डब्ल्यू (ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली,
दिनांकः 10 जुलाई, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषयः (i) ऐसे मामलों में पेंशन की बकाया राशि का भुगतान, जहां पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 के तहत वैध नामांकन नहीं किया गया है।
(ii) पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि भुगतान के संबंध में।

पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पेंशनभोगी को देय पेंशन की सभी बकाया राशि का भुगतान मृत पेंशनभोगी के नामिती को किया जाएगा। पेंशनभोगी द्वारा नामांकन नहीं किए जाने की स्थिति में उसकी पेंशन का भुगतान, वित मंत्रालय के दिनांक 11.10.1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(3)–ई.वी/83 के अनुलग्नक के भाग क के पैरा 4 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार वैध वारिस को किया जाता है। हालांकि कुछ पेंशनभोगियों के आश्रितों ने वैध उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई व्यक्त की है और प्रतिवेदन दिया है कि उन मामलों में वैध उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए, जहां देय धनराशि कम है।

2. वित मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 04.06.1985 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा मामले की जांच की गई और यह निर्णय किया गया कि यदि पेंशन बकाया का भुगतान (नामांकन) नियमावली, 1983 के तहत वैध नामांकन मौजूद नहीं है और पेंशनभोगी का आश्रित व्यक्ति वैध उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, और यदि कुल बकाया राशि 25,000/–रू0 से अधिक नहीं है, तो दावेदार द्वारा पेंशनभोगी से संबंध और उत्तराधिकारी संबंधी दस्तावेजी सबूत के आधार पर मृत पेंशनभोगी को देय पेंशन के बकाया के भुगतान की स्वीकृति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, यदि कुल धनराशि 5000/–रू0 से अधिक नहीं होती और मामले की कोई अलग विशेषता नहीं होती, तो लेखा अधिकारी को भुगतान करने का अधिकार प्राप्त था।

3. सरकार ने मामले पर आगे विचार किया और व्यय विभाग के दिनांक 4.6.85 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित सीमाओं को 5000/–रू0 और 25,000/–रू0 से बढ़ाकर क्रमशः 50,000/–रूपये और 2,50,000/–रूपये करने का निर्णय लिया है। व्यय विभाग के दिनांक 22.10.1983 और 04.06.1985 के कार्यालय ज्ञापनों में उल्लिखित भुगतान की शर्तें और प्रक्रिया बची रहेगी, जिनका नीचे पुनः उल्लेख किया जा रहा है।

4. पेंशन वितरण अधिकारी (पीडीए), दावेदार का पेंशनभोगी के साथ संबंध और उत्तराधिकार के दस्तावेजी सबूत के साथ आवेदन प्राप्त करेंगे। यदि दावेदार पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता है, तो पेंशन वितरण अधिकारी उसके पास मौजूद पेंशन अदायगी आदेश (पीपीओ) और पेंशनभोगी के पास मौजूद पीपीओ से दावेदार की पहचान की पुष्टि करेंगे और इस पुष्टि का प्रमाणपत्र जारी करेंगे। पेंशन वितरण अधिकारी आवेदनकर्ता से प्राप्त दस्तावेजों को विधिवत सत्यापित करेंगे और उन्हें आवेदन के साथ लेखा अधिकारी को अग्रषित करेंगे। लेखा अधिकारी, पीडीए से पेंशनभोगी के पीपीओ की एक प्रति और अन्य दस्तावेजों के साथ आवेदन प्राप्त होने पर, बकाया राशि की गणना करेंगे और यदि मामला असामान्य नहीं है और धनराशि 50,000/–रू0 से अधिक नहीं है तो वितरण अधिकारी को बकाया पेंशन के भुगतान का आवश्यक प्राधिकार जारी करेंगे। यदि धनराशि, 50,000रू0 से अधिक है, किंतु 2,50,000 से कम है तो लेखा अधिकारी, विभागाध्यक्ष या प्रशासक या भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध में भारतीय महालेखा परीक्षक (सीएजी) या विभागाध्यक्ष के रूप में घोषित उस विभाग

के किसी अन्य अधिकारी से आदेश प्राप्त करेंगे। फॉर्म टी.आर.14/जी.ए.आर.26 में विधिवत स्टैम्प लगे क्षतिपूर्ति बंधपत्र, जिसके साथ नीचे पैरा 7 में उल्लिखित यथावश्यक जमानत संलग्न हों, प्रस्तुत करने पर धनराशि का भुगतान किया जाएगा। किसी प्रकार का संदेह होने और 2,50,000रू0 से अधिक धनराशि होने के मामलों में केवल वेध प्राधिकार प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को ही भुगतान करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

5. इस विभाग के दिनांक 30.10.1995 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 43/4/95–पी.एंड पी.डब्ल्यू (जी) में निहित है कि पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, पारिवारिक पेंशन के बकाया प्राप्त करने का अधिकार परिवार के अगले क्रम वाले पात्र सदस्य को मिल जाएगा। बकाया राशि के भुगतान के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की जरूरत केवल तभी पड़ती है, जब पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद परिवार में कोई भी सदस्य पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र नहीं है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जहां परिवार का कोई भी सदस्य पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र नहीं है, वहां भी इस कार्यालय ज्ञापन के उपबंध लागू होंगे।

6. यहां विभागाध्यक्ष का अर्थ, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 2 (xvi) में परिभाषित विभागाध्यक्ष से अभिप्रेत है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, यह निर्णय लिया गया है कि फील्ड कार्यालयों में, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, यदि जरूरी समझे तो उपसचिव/निदेशक स्तर के कार्यालयाध्यक्षों को, विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व के ऐसे सभी मामले इसी कार्यालय ज्ञापन के अधीन होंगे।

7. सामान्यतः दो जमानतें होनी चाहिए, और दोनों वित्तीय स्थायित्व वाली हों। तथापि, यदि दावा राशि 75,000/–रू0 से कम है, तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से क्षतिपूर्ति बंधपत्र स्वीकार करने वाले अधिकारी प्रत्येक मामले के गुण–दोष के आधार पर यह निर्णय लें कि दो की बजाय एक ही जमानत ली जाए अथवा नहीं। क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने वाला और जमानती दोनों ही व्यस्क होने चाहिए ताकि बंधपत्र वैध हो। बंधपत्र, संविधान के अनुच्छेद 299 (1) के तहत विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति की ओर से स्वीकार किए जाएंगे।

8. ऐसे मामलों में ये आदेश लागू नहीं होंगे, जहां पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 के तहत वैध नामांकन किया गया हो। ऐसे मामलों में नामिती/नामितियों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

9. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध में, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाएंगे।

10. यह कार्यालय ज्ञापन वित मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 28 जून, 2013 के आई डी नोट संख्या 568/ई.वी/2013 और महालेखा नियंत्रक कार्यालय के दिनांक 13.02.2013 के आई डी संख्या 1(7)/टीए–III/2011–12/विविध/116 की सहमति से जारी किया जाता है।

सु. चौधुरी

(सुजाशा चौधुरी)
उपसचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 24635979

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय
लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, लोक नायक भवन, नई दिल्ली
इस विभाग में उपलब्ध डाकपता–सूची के अनुसार सभी पेंशनभोगी–संघ।